

पानं

*पृथक् नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१९

अधिकारी/कर्मचारी का (पुन) भंग तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **अन्य प्रकार अस** 2. वर्तमान धारित पद **असई**

3. वर्तमान वेतन **₹ 7200** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1.7.19**

(15)

| उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, विभाग संघर्ष स्थित का | संपत्ति का नाम तथा व्यंक्ति | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति | संपत्ति से वार्षिक आय | अन्य |
|--|-------------------------------|------|---------------|--|---|-----------------------|------|
| | गण संख्या अथवा क्षेत्र संख्या | पूजि | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. गीपुरा गा. जमीन असई विहार, गीपुरा | प्लॉट असई विहार | - | 26 लाख | स्वयं के नाम पर | ₹ 50 लाख स्वयं के नाम पर | 12 लाख | |
| 2. गीपुरा असई विहार, गीपुरा | प्लॉट असई विहार | - | 31 लाख | स्वयं के नाम पर | ₹ 30 लाख स्वयं के नाम पर | 12 लाख | |

* वहां लागू न हो वहां दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मुख्य या सहाय्यी भिन्नता करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मुख्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यावृत्त पट्टे भी सम्मिलित हैं।
दियुक्ति: मध्य प्रदेश शासकीय संवक (असई) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूखण्ड, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के अंतर्गत प्राप्त की गई अर्जित है कि वह सेवा में पड़ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नईनी की अवधि के पर्यन्त यह नियुक्ति प्राप्त हो कर अर्जित करें और उसमें वह उनके स्थानों की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर जो उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंशक पर उसके द्वारा धारित अथवा अर्जित नामों के अंतर्गत है।

नाम **असई**
पद **असई**
स्थान **असई**